बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सा०नि०/स्था०17–02/2018 पटना, दिनांक:

कार्यालय आदेश

श्री परवेज आलम, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी के विरूद्ध अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–460/खाद्य दिनांक–29.01.2018 के साथ संलग्न उप महाप्रबंधक, प्रशासन निगम मुख्यालय, पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि० के पत्रांक–133 दिनांक–04.01.2018 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–169 सहपठित ज्ञापांक–1017 दिनांक–14.05.2018 द्वारा श्री परवेज आलम पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), अररिया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक–2296/रा० दिनांक–26.11.2018 द्वारा जॉच–सह–संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपर समाहर्त्ता, अररिया–सह–संचालन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया है कि

" (i) आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि उनके कार्याकाल में खाद्यान्न का गबन संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया तथा प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच वितरण का कार्य होता रहा तथा कहीं से कोई शिकायत नहीं हुई। प्रमुख प्रशासन निगम, मुख्यालय, पटना के पत्रांक–11491 दिनांक–16.09.2016 द्वारा आरोपी कर्मी पर सर्टिफिकेट केश दर्ज करने एवं प्रपत्र'क' गठित करने का आदेश निर्गत किया गया। जिसके विरूद्ध उनके स्पष्टीकरण के आलोक में समीक्षोपरांत प्रमुख प्रशासन निगम, मुख्यालय, पटना के ज्ञापांक–12815 दिनांक–21.10.2016 द्वारा आरोपी कर्मी के विरूद्ध पूर्व में दिये गये आदेश पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं का निदेश दिया गया है। इस प्रकार खाद्यान्न का गबन में आरोपी कर्मी की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

(ii) आरोपी कर्मी ने स्पष्टीकरण में बताया है कि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा किये गये आवंटन के आलोक में प्रत्येक गोदाम के लिए निर्गत विमुक्ति आदेश के विरूद्ध गोदाम का उप आवंटन

कर उठाव का निदेश दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उठाव पदाधिकारी, परिवहन अभिकर्त्ता, निर्गत गोदाम के प्रभारी तथा प्राप्त करने वाले गोदाम प्रभारी की मुख्य भूमिका होती है, उसमें जिला प्रबंधक की भूमिका नहीं होती। प्रबंध निदेशक का निदेश पत्रांक–985 दिनांक–07.02.2004 से स्पष्ट है कि गोदाम प्रभारी को उप आवंटन से अधिक किसी भी परिस्थिति में अनाज नहीं प्राप्त करनी है। वैसी स्थिति में अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए केवल गोदाम प्रभारी जिम्मेवार है। थाना कांड संख्या'–47/16 में पुलिस जॉच पदाधिकारी के जॉच पश्चात् प्राथमिकी दर्ज की गई परन्तु कहीं भी आरोपी कर्मी को दोषी नहीं माना गया है। आरोप सं०–2 में आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम ने संतोषप्रद बताया है । आरोपी के विरूद्ध कोई गबन का साक्ष्य प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही होते हैं।

(iii) आरोपी कर्मी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि गोदामों में क्षमता से अधिक खाद्यान्न गोदाम प्रभारी द्वारा भंडारित कर लिया जाता है। सी०एम०आर० प्राप्त करने की उस वर्ष अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बाद में विस्तारित कर 15 अगस्त किया गया। उक्त अवधि में गोदाम के बाहर परिसर में खड़ी गाड़ियों से लाये गये चावल को अंतिम समय या माह होने के कारण स्टॉक पंजी में प्राप्ति कर ली गई जिससे कि भंडारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न की प्राप्ति दिखाई दे रही है। इसी प्रकार एफ०सी०आई० से चावल लिये जाने पर व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न को रखा जाता था। आरोप में यह भी स्पष्ट है कि सी०एम०आर० गोदाम के सहायक प्रबंधकों तथा परिवहन अभिकर्त्ता के मिलीभगत से खाद्यान्नों का फर्जी परिवहन किया गया है, जो जॉच के क्रम में अंततः गबन के रूप में आया। इस क्रम में आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

<u>अंतिम विवेचन :–</u>आरोपी कर्मी का पर्यवेक्षण एवं गोदाम प्रभारी के प्राप्ति एवं उठाव संबंधी पंजियों का निरीक्षण कार्य आदि का उनके द्वारा अभाव पाया गया है तथा समय–समय पर इस संबध में गोदाम प्रभारी को कोई निदेश उनके द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार इनके कार्य में शिथिलता परिलक्षित होता है तथा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव दृष्टिगोचर होता है। खाद्यान्न के गबन के मामले में उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योकि उनके प्रभार देने के लगभग 7 माह बाद गोदामों की जॉच से गबन का मामला प्रकाश में आया है। जिस कारण तत्कालीन प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया एवं राज्य के प्राधिकृत परिवहन अभिकर्त्ता आदि के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा आरोपी कर्मी श्री परवेज आलम के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।"

"जल है तो कल है"

अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री परवेज आलम, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को भविष्य में अपने कार्यो में सुधार लाने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– अ०सा०नि०/स्था०17–02/2018 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :–अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–460/ खाद्य दिनांक–29.01.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप प्रबंधक, प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना, बिहार स्टेट फुड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०।
3. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना
4. जिला पदाधिकारी, अररिया/मधुबनी।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया/मधुबनी।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री परवेज आलम, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

19